उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः 2645 / नौ–5–2015–128सा / 15
लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद फिरोजाबाद में नगरीय पेयजल / सीवरेज योजना के संबंध में आवश्यक भूमि का भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी फिरोजाबाद के पत्र संख्या–2039 / भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय, दिनांक 25.05.2015 द्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश सं0–02 / 2015 / 215 / एक–13–2015–20(48) / 2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा किये गये प्राविधानों के क्रम में नीति निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि का क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण करने विषयक राजस्व विभाग के संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च,2015 द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश में किये गये प्राविधान सभी विभागों पर लागू है।

3– उक्त प्राविधानों के अनुक्रम जनपद फिरोजाबाद में नगर विकास विभाग से संबंधित परियोजनाओं के लिये भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर आवश्यक भूमि का क्रय किये जाने हेतु परियोजनाओं की लागत के अनुसार निम्न भूमि क्रय समितियां गठित की जाती है:–

(क) लघु परियोजनाओं" अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत रू0 10.00 करोड़ तक है, के लिए भूमि क्रय अनुमोदन समिति:–

क्र0 सं0	**नामित अधिकारी**	**पदनाम**
1	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) फिरोजाबाद	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी फिरोजाबाद।	सदस्य
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (परियोजना प्रशासक), जनपद फिरोजाबाद।	सदस्य
4.	सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार / उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन / सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन, फिरोजाबाद	सदस्य
5	नगर आयुक्त,नगर निगम, फिरोजाबाद / संबंधित नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी।	सदस्य सचिव

(ख) मध्यम एवं वृहद परियोजनाएं" अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनमें परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की कुल कीमत रू0 10.00 करोड़ से अधिक

2 / –

u.o. rathore

है, के लिए भूमि क्रय अनुमोदन समितिः–

क्र0 सं0	नामित अधिकारी	पदनाम
1	जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिला रजिस्ट्रार, फिरोजाबाद।	सदस्य
3	सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी, फिरोजाबाद।	सदस्य
4	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (परियोजना प्रशासक),फिरोजाबाद।	सदस्य
5	सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार /उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/ सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन, फिरोजाबाद।	सदस्य
6	नगर आयुक्त,नगर निगम, फिरोजाबाद/संबंधित नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी।	सदस्य सचिव

4– भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु राजस्व विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2015 द्वारा किये गये प्राविधानो के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

।

5– भू–स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.03.2015 द्वारा किये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मण्डलायुक्त, आगरा।
(2) जिलाधिकारी, फिरोजाबाद। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(3) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(6) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(7) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद, फिरोजाबाद।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

u.o. rathore